अध्याय 13

नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

प्रस्तावना

13.1 निर्देश पद के अनुसार आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निम्न बिंदुओ को ध्यान में रखते हुए वह अपनी अनुशंसाए प्रदान करें-

1. नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक मापदंड ।
2. उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए आवश्यक मापदंड ।
3. उपभोक्ता शुल्क/ लागत की वसूली में सुधार के लिए आवश्यक मापदंड ।
4. 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर विचार।
5. संवैधानिक संशोधनों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं को अंतरित किए गए कृत्यों और सेवाओं में तथा उनमें संलग्न कर्मचारियों की सेवाओं के अंतरण को ध्यान में रखेगा ।

ये स्थानीय निकाय शासन की पूर्वानुमति से तत्संबधी विधि के अनुसार कर एवं गैर कर राजस्व वसूल करने के लिए अधिकृत हैं। कर राजस्व मुख्यतः संपत्ति कर एवं समेकित कर से प्राप्त होता है एवं गैर कर राजस्व की प्राप्ति नाम मात्र की है। संसाधनों को गतिशील करने के प्रयासों में नगरीय स्थानीय निकायों की अनिच्छा गंभीर चिन्ता का विषय है। प्रबंधकीय एवं आधारभूत अधोसंरचना सहित विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी शासकीय अनुदान या राजस्व अंतरण पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

13.2 नगर पालिकाओं के वित्तीय संसाधनों के मुख्य स्रोत निम्नानुसार हैं :-

1. स्वयं के संसाधन
   - (अ) कर से प्राप्त आय - संपत्ति कर, एकीकृत कर, जल कर, प्रवेश कर
   - (आ) गैर कर से आय - बाजार शुल्क, किराया, अर्थदण्ड, उपभोक्ता शुल्क आदि
2. सौंपा गया (समनुदेशित) राजस्व- चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्री कर क्षतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क आदि
3. केन्द्र से प्राप्त अनुदान एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान।
4. राज्य शासन से प्राप्त अनुदान एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान
5. केन्द्र से प्राप्त राशि
6. राज्य प्रवर्तित योजनाओं से प्राप्त राशि
7. ऋण - राज्य शासन एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण
8. अन्य

स्वयं के संसाधन

संपत्ति कर

13.3 - छत्तीसगढ़ में नगरीय स्थानीय निकायों की आय का प्रमुख स्रोत संपत्ति कर है। इसे नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 132 (1)(a) एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 127 A, (1) के अंतर्गत आरोपित किया जाता है। राज्य में इसके सुधार हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं, जिससे संपत्तिकर को अधिक सार्थक बनाया जा सके। नगर पालिक निगम अधिनियम 143(3) के अंतर्गत संपत्ति कर का पुनरीक्षण 5 वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए। साथ ही नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 136(a) एवं (c-k) तथा नगर

पालिका परिषद अधिनियम की धारा 127A(a) एवं (c-k) के अंतर्गत संपत्ति कर में अनेक छूटें दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में कर के स्वनिर्धारण की प्रक्रिया प्रचलित है।

13.4 छत्तीसगढ़ राज्य में संपत्ति कर वार्षिक भाड़ा दर पर आधारित है। वार्षिक भाड़ा दर के आधार पर संपत्ति कर 6 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक निर्धारित किया जाता है। नगरीय निकायों द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम धारा 135 एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम धारा 127, एवं राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार वास्तविक दर का निर्धारण किया जाता है। चूंकि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कर का निर्धारण स्लैब के आधार पर किया जाता है, अतः कर के आरोपण में अत्यधिक भिन्नता एवं अंतर दिखाई देता है। यह अंतर निम्न तालिका 13.1 से स्पष्ट है :-

तालिका 13.1
विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की दर

(राशि रूपये में)

कुरूद		चारामा		अंबिकापुर		
स्लैब	कर का प्रतिशत	स्लैब	कर का प्रतिशत	स्लैब	कर का प्रतिशत	
					आवासीय	वाणिज्यिक
1 – 4800	निरंक	1-5000	3	0 – 6000	निरंक	निरंक
4801-20000	6	5001-10000	4	6001-15000	6	9
20001-50000	8	10001-15000	5	15001-20000	6	10
50000 से अधिक	10	15001-20000	6	20001-30000	6	12
		20001-25000	7	30001-40000	8	13
		25001-30000	8	40001-50000	8	14
		30001-35000	9	50001-60000	10	15
		35001-40000	10	60001-70000	12	17
				70000 से अधिक	14	20

तिफरा		कवर्धा		बिरगांव		
स्लैब	कर का प्रतिशत	स्लैब	कर का प्रतिशत	स्लैब	कर का प्रतिशत	
					आवासीय	वाणिज्यिक
0-4800	निरंक	0-4800	निरंक	0-6000	निरंक	
4801-15000	6	4801-15000	6	6001-20000	6	
15001-35000	8	15001-20000	7	20001-35000	8	
35001-75000	9	20001-50000	8	35001-50000	10	
75000 से अधिक	10	50000 से अधिक	10	50001-75000	15	
				75000 से अधिक	20	

स्रोत - संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त आंकड़े

सामान्य छूट

13.5 स्थानीय शासन तंत्र में संपत्ति कर से छूट देना एक सामान्य प्रचलित प्रथा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र शासन की सभी संपत्तियों पर संपत्ति कर से छूट है। नगर पालिका परिषद अधिनियम में संपत्ति कर से छूट की एक लंबी सूची दी गई है। 50 प्रतिशत की छूट नगर पालिक निगम अधिनियम 136(1) एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम धारा 127 A(1) अंतर्गत निम्न स्थितियों में दी जाती है-

1. जनसंख्या एक लाख से अधिक है एवं संपत्ति की वार्षिक भाड़ा दर 6000 रूपये से कम है।
2. जनसंख्या एक लाख से कम है एवं संपत्ति की वार्षिक भाड़ा दर 4800 रूपये से कम है।
3. भवन स्वामी स्वयं निवास करता हो।

विशेष छूट

13.6 शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक पूजा स्थल या सार्वजनिक परोपकारी, विधवा या अवयस्क या निःशक्तजन, मानसिक रूप से अक्षम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेना के सदस्य एवं उनकी विधवाएं, दृष्टिहीन, परित्यक्त महिलाएं एवं मानसिक रूप से असंतुलित, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये खम्भे और ऐसे अन्य मामले जिनमें राज्य शासन ने छूट देने का निर्णय लिया हो, को कर से छूट प्राप्त है। कुछ प्रकरणों में यह छूट शर्तों के साथ है।

आयोग अनुशंसा करता है कि शासन को नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम में प्रावधानित छूटों पर पुर्नविचार करना चाहिए और 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार उन्हें हटाने या तर्कसंगत बनाने पर विचार करना चाहिए।

संपत्ति कर प्राप्तियां

13.7 तालिका 13.2, 3 वर्षों की अवधि में सम्पत्ति कर की मांग एवं संग्रहण के विस्तृत विवरण को दर्शाती है। संपत्ति कर की मांग सभी 168 नगरीय स्थानीय निकायों हेतु वर्ष 2014-15 में रू. 160.34 करोड़ थी, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर रू. 341.29 करोड़ हो गई, यह वृद्धि 112.85 प्रतिशत है। यद्यपि त्रिस्तरीय नगरीय स्थानीय निकायों में काफी अंतर है। वर्ष 2014-15 में नगर पालिक निगमों में कुल मांग रू. 138.84 करोड़ थी जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर रू. 298.37 करोड़ हो गई। नगर पालिका परिषद में यह वर्ष 2014-15 में रू. 13.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में रू. 29.39 करोड़ हो गई। नगर पंचायतों में वर्ष 2014-15 में मांग 8.41 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर रू. 13.53 करोड़ हो गई। नगर पालिक निगमों में कर संग्रहण की दक्षता जो वर्ष 2014-15 में 72.66 प्रतिशत थी वर्ष 2016-17 में घटकर 63.44 प्रतिशत हो गई। नगर पालिका परिषदों में वर्ष 2014-15 में कर संग्रहण की दक्षता 70.63 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2016-17 में घटकर 52.84 प्रतिशत हो गई। नगर पंचायतों में कर संग्रहण दक्षता में 1.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 13.2

संपत्ति कर : मांग एवं वसूली

(करोड़ रूपये में)

	2014-15			2015-16			2016-17		
	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत
नगर पालिक निगम (13)									
योग	138.84	100.89	72.66	169.17	119.14	70.43	298.37	189.28	63.44
नगर पालिकाएं (44)									
योग	13.09	9.24	70.63	22.20	10.11	45.56	29.39	15.53	52.84
नगर पंचायत (111)									
योग	8.41	4.86	57.79	10.83	5.47	50.48	13.53	8.05	59.50
राज्य (168)									
योग	160.34	114.99	71.72	202.20	134.72	66.63	341.29	221.86	62.37

स्रोत - संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग. शासन

आयोग के द्वारा किए गए स्थल निरीक्षणों से यह स्पष्ट हुआ कि वसूली के आंकड़ों में अंतर का एक संभावित कारण आंकड़ो में परिवर्तन किया जाना है। यह परिवर्तन वसूली की स्थिति को अच्छा दिखाने के लिए किया जाना प्रतीत होता है। छोटे स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा संपत्ति के सही अभिलेख नहीं रखने से इसमें और वृद्धि हुई है। अभिलेख के उचित संधारण के अभाव और बहुत अधिक संपत्तियों को छूट के दायरे में रखने से यह स्थिति और अधिक विषम हुई है। उल्लेखनीय है कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन के मापदण्ड अनुसार पिछले बकाये का संचयी योग वर्तमान वर्ष की मांग के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयोग अनुशंसा करता है कि सम्पत्ति कर सहित सभी अभिलेखों का सम्यक् रूप से संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को समुचित तंत्र का विकास करना चाहिए। विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि संपत्ति कर का पुनरीक्षण कर संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इसके पश्चात् इसका पुर्ननिर्धारण प्रति 5 वर्ष में किया जावे।

जी.आई.एस. आधारित मानचित्रण पर संपत्ति कर सर्वेक्षण

13.8 संपत्ति कर की वसूली में सुधार एवं संपत्तियों को व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण सूची के दायरे में लाने के लिए, साथ ही नागरिकों को भवन निर्माण अनुज्ञा, करों के ऑनलाईन भुगतान की सुविधा देने के लिए जी.आई. एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। यह प्रक्रिया रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं चिरमिरी में प्रारंभ की गई है।

जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर के उपयोग के बाद 2,11,430 संपत्तियां इस दायरे में आई हैं। यह भविष्य के लिए भी अमूल्यांकित सम्पत्तियों को मूल्यांकन के दायरे में लाने के लिए प्रभावशाली कदम होगा। (तालिका 13.3)

तालिका 13.3

जी.आई.एस. के उपयोग से संपत्तियों का सर्वेक्षण

क्रमांक	नगरीय स्थानीय निकाय	सर्वेक्षण के पूर्व संपत्तियों की अनुमानित संख्या	सर्वेक्षण के बाद संपत्तियों की संख्या	संपत्तियों की संख्या में वृद्धि
1	रायपुर	121900	202324	80424
2	भिलाई	102000	149314	47314
3	दुर्ग	26000	48351	22351
4	राजनांदगांव	7200	32607	25407
5	जगदलपुर	19000	23111	4111
6	बिलासपुर	45000	57819	12819
7	कोरबा	84000	75563	-8437
8	रायगढ़	9240	26359	17119
9	अंबिकापुर	11540	19398	7858
10	चिरमिरी	20390	22854	2464
	योग	**446270**	**657700**	**211430**

स्रोत - SUDA का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2016-17

10 नगर पालिक निगमों के कुल 900 वर्ग कि.मी. में से 823.20 वर्ग कि.मी. का सर्वेक्षण किया जा चुका है एवं इसके आधार पर मानचित्र का प्रारूप तैयार किया गया है। एक बार नगरीय स्थानीय निकायों के स्तर पर मान्यता एवं अनुमोदन के उपरान्त संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को जी.आई.एस. आधारित मानचित्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। 10 नगर पालिक निगमों में कार्य पूर्ण होने पर अन्य नगरीय स्थानीय निकायों को भी सर्वेक्षण के दायरे में लाया जा सकेगा।

13.9 संपत्ति कर सूचना प्रणाली

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान संपत्ति कर की दरें पुनरीक्षण का विषय है, पीटीआईएस नामक सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। इसमें संपत्ति कर विषयक सभी जानकारी एवं अधिसूचना रहेगी और जिसे जनसामान्य के द्वारा उपयोग में लाया जा सकेगा।

13.10 (1) आयोग की अनुशंसा है कि *संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई. ऍप स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रारंभ में यह प्रणाली नगर पालिक निगमों में लागू की जा सकती है कालांतर में इसे अन्य नगरीय स्थानीय निकायों में भी लागू किया जा सकता है।*

(2) आयोग की अनुशंसा है कि *समय पर और अग्रिम संपत्ति कर का भुगतान करने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना चाहिए और इसका विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। इससे प्रभावी एवं अधिक कर राजस्व की वसूली संभव हो सकेगी।*

समेकित कर

13.11 नगर पालिक निगम अधिनियम धारा 132(1)(सी-ई) और नगर पालिका परिषद अधिनियम 127(1)(सी-ई) में सामान्य स्वच्छता, अग्निशमन एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु एकजाई कर अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है जिसे समेकित कर कहा जाता है। यह नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोतों से कर राजस्व प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नगर पालिक निगमों हेतु शासन द्वारा एक निम्नतम कर की दर निर्धारित की जाती है। वहीं नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों दरों का निर्धारण संबंधित निकाय द्वारा किया जाता है। अंतिम रूप से करारोपण का अधिकार नगरीय स्थानीय निकायों का होता है। यद्यपि यह कर 3 पृथक-पृथक घटकों हेतु लिए जाते हैं परन्तु इस स्रोत से प्राप्त आय का उपयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन तक सीमित नहीं होता है। इसे सामान्य नगर पालिक निधि में जमा किया जाता है, और इसका व्यय भी सामान्य कार्य हेतु किया जाता है।

समेकित कर का पुनरीक्षण करते हुए उसे 150 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 600 रूपये कर दिया गया है, वहीं संपत्ति कर के दायरे में नहीं आने वालों के लिए यह 300 रूपये प्रतिमाह निर्धारित है। इस कर के आरोपण एवं वसूली के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं- (अ) यह कर उन संपत्तियों पर भी लिया जाता है जिन्हें संपत्ति कर के भुगतान से छूट है। (ब) परिणाम स्वरूप यह कर सभी संपत्ति धारकों से वसूल किया जाता है।

मांग एवं वसूली की दक्षता

13.12 सभी नगरीय स्थानीय निकायों में समेकित कर में वर्षवार वृद्धि तालिका 13.4 में दर्शित है।

तालिका 13.4
समेकित कर : मांग एवं वसूली दक्षता

(करोड़ रूपये में)

	2014-15			2015-16			2016-17		
	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत
नगर पालिक निगम (13)									
योग	50.14	30.46	60.75	55.60	30.95	55.67	57.80	30.97	53.58
नगर पालिका परिषद (44)									
योग	17.79	9.02	50.71	18.87	8.80	46.65	19.34	10.85	56.09
नगर पंचायत (111)									
योग	18.12	7.45	41.15	17.69	6.57	37.15	18.92	6.49	34.29
राज्य (168)									
योग	86.05	46.93	54.55	92.16	46.32	50.27	96.06	48.31	50.28

स्रोत - संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

13.13 सम्पत्ति कर एवं समेकित कर का एक लक्षण यह है कि नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका परिषद में सम्पत्ति कर समेकित कर से अधिक होता है। सम्पत्ति कर में अनेक छूट होती है, जबकि समेकित कर में छूट की संख्या कम है। सम्पत्ति कर की दरों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण में राजनैतिक दबाव होता है, परन्तु समेकित कर ऐसे दबावों से मुक्त होता है। भवनों की बड़ी संख्या एवं विभिन्न प्रकार के कारण, नगर पालिक निगमों में सम्पत्ति कर, समेकित कर से अधिक होता है। नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में बहुत बड़ी संख्या में छूट वाली एवं न्यूनतम दर वाली सम्पत्तियाँ होती हैं। इन दोनों संस्थाओं में सम्पत्ति कर एवं समेकित कर में अंतर अधिक नहीं होता है, किन्तु सम्पत्ति कर समेकित कर से अधिक होता है।

जल कर

13.14 नगरीय स्थानीय निकायों में जल कर रू. 2400.00 प्रतिवर्ष एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु रू. 4200.00 प्रति वर्ष लिया जाता है। ऐसे भवन स्वामी जो सम्पत्ति कर की सीमा में नहीं आते हैं, उनसे जल कर रू. 720.00 प्रतिवर्ष लिया जाता है। तालिका 13.5 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जल कर की मांग एवं वसूली की वर्षवार वृद्धि को दर्शाया गया है।

तालिका 13.5
जल कर : मांग एवं वसूली

(करोड़ रूपये में)

	2014-15			2015-16			2016-17		
	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत
नगर पालिक निगम (13)									
योग	58.84	43.66	74.20	70.97	46.23	65.14	74.47	47.58	63.90
नगर पालिका परिषद (44)									
योग	17.89	9.69	54.19	19.48	9.43	48.41	21.04	10.25	48.73
नगर पंचायत (111)									
योग	13.74	7.89	57.39	14.20	7.27	51.22	15.06	8.16	54.20
राज्य (168)									
योग	90.47	61.24	67.69	104.65	62.93	60.14	110.57	65.99	59.69

स्रोत - संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

वैकल्पिक कर

13.15 आयोग ने अपने प्रवास के दौरान यह पाया कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिकांश वैकल्पिक करों का आरोपण नहीं किया जा रहा है। केवल पशुओं के पंजीयन, होर्डिंग, थियेटर, मंचीय प्रदर्शन पर कर एवं सार्वजनिक मनोरंजन के कार्यक्रमों पर प्रति प्रदर्शन की दर से कर अधिरोपित किया जाता है।

विज्ञापन/होर्डिंग कर

13.16 विज्ञापन कर नगरीय स्थानीय निकायों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। छत्तीसगढ़ में यह कर केवल कुछ ही नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाता है और इससे होने वाली आय काफी कम होती है। यद्यपि रायपुर इस स्रोत से आय अर्जित करने में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आय अर्जित करने का यह एक बहुत उपयोगी स्रोत है, जिसे सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

विज्ञापन कर से आय

(लाख रूपये में)

नगर पालिक निगम	2013-14	2014-15	2015-16
रायपुर	190.52	176.32	277.43
दुर्ग	20.37	20.13	48.72
कोरबा	21.79	18.89	41.52
धमतरी	2.26	5.18	6.92

आयोग यह अनुशंसा करता है कि अधिकतम दोहन की संभावना वाले बड़े नगरीय स्थानीय निकायों में विज्ञापन/होर्डिंग कर का उपयोग राजस्व बढ़ाने में किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए विज्ञापन कर लगाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।

गैर कर आय

13.17 नगर पालिकाओं से संबंधित अधिनियम नगरीय स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्क के रूप में फीस, किराया, अधिभार आदि लगाने एवं उन्हें वसूल करने के अधिकार देता है। यह स्रोत स्वयं की आय का बड़ा हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय स्थानीय निकाय बाजार शुल्क, दुकान किराया, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य शुल्क यथा पानी टैंकर शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क, सेप्टेज मशीन के उपयोग का शुल्क, अभिलेखों की नकल पर शुल्क, भूमि एवं भवन पट्टे पर दिये जाने का शुल्क आदि उपभोक्ता शुल्क वसूल करते हैं, जो उनकी कुल आय का 5वां हिस्सा है।

दुकान किराया

13.18 देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बाजार स्थल एवं दुकानों का निर्माण कर उन्हें पट्टे/किराये पर दिया जाता है। दुकानों का किराया नगरीय स्थानीय निकायों की स्वयं की आय का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। इस स्रोत से नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त की गई आय का विवरण तालिका 13.6 में दर्शित है। इस मद में विभिन्न नगरीय निकायों की आय प्राप्ति में भारी अंतर को देखा जा सकता है। नगर पालिक निगमों ने वर्ष 2016-17 में 11.51 करोड़ रूपये किराये के रूप में प्राप्त किये, जबकि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा क्रमशः 4.49 करोड़ एवं 2.63 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की गई है। यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि किराये को सही तरीके से लगाया जाना एवं उसकी वसूली आवश्यक है जिससे स्थानीय नगरीय निकायों के स्वयं की आय प्राप्ति के स्रोत में वृद्धि की जा सके।

तालिका 13.6
दुकान किराया : मांग एवं वसूली

(करोड़ रूपये में)

	2014-15			2015-16			2016-17		
	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत
नगर पालिक निगम (13)									
योग	13.89	10.77	77.53	14.89	11.89	79.86	15.14	11.51	76.03
नगर पालिका परिषद (44)									
योग	5.28	3.49	65.98	5.65	3.56	62.96	6.44	4.49	69.73
नगर पंचायत (111)									
योग	4.51	2.93	64.98	4.34	2.71	62.38	4.25	2.63	61.95
राज्य (168)									
योग	23.68	17.19	72.56	24.88	18.16	72.97	25.83	18.63	72.15

स्रोत - संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

बाजार शुल्क

13.19 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्र. 2405/1308/2018/18 रायपुर दिनांक 24.03.2018 द्वारा म्यूनिसिपल क्षेत्रों में लाई जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला बाजार शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

दुकान स्थापना एवं व्यापार अनुज्ञा शुल्क

13.20 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दुकान स्थापना एवं व्यापार अनुज्ञा हेतु शुल्क पृथक-पृथक लिया जाता है, जिसके कारण अनुमति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। आयोग के ध्यान में यह तथ्य आया है कि लोग दुकान स्थापना शुल्क का भुगतान कर देते हैं, परन्तु अलग से व्यापार अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, जिससे नगरीय स्थानीय निकायों को शुल्क की हानि होती है।

आयोग अनुशंसा करता है कि प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए दुकान स्थापना एवं व्यापार अनुज्ञा शुल्क दोनों को मिला दिया जाए, इससे नगरीय स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि होगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

13.21 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के एकत्रीकरण, परिवहन एवं निराकरण का व्यय काफी अधिक होता है, परन्तु अधिकांश नगरीय स्थानीय निकाय इस सेवा पर कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं लेते हैं। यद्यपि कुछ नगरीय स्थानीय निकायों ने घर-घर से कचरा संग्रहण करने एवं इस पर एक निश्चित राशि लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मद में उपभोक्ता शुल्क की मांग एवं वसूली की स्थिति में काफी अंतर है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की संग्रहण क्षमता वर्ष 2016-17 में केवल 23 प्रतिशत थी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का वास्तविक संचालन एवं संधारण व्यय जैसे वेतन, परिवहन, ईधन पर खर्च एवं अन्य आकस्मिक व्यय, संग्रहण एवं उपभोक्ता शुल्क से बहुत अधिक है। नगर पंचायतों में जहाँ उपभोक्ता शुल्क नहीं लगाया जाता है, और न ही वसूल किया जाता है, वहाँ यह व्यय और भी अधिक है। आयोग का यह मत है कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपभोक्ता शुल्क के माध्यम से वास्तविक संचालन एवं संधारण व्यय की वसूली की जानी चाहिए। आय के इस स्रोत का लाभ उठाने के लिए एक विशिष्ट रणनीति तैयार कर उसे लागू किया जाना चाहिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालन एवं संधारण व्यय की वसूली उपभोक्ता शुल्क के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए तथा नगरीय स्थानीय निकायों को यह सुझाव देना चाहिए कि वे शनैः-शनैः संचालन एवं संधारण व्यय की शत् प्रतिशत वसूली की ओर अग्रसर हों। साथ ही स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस हेतु एक समय-सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए।

समनुदेशित राजस्व (सौंपा गया राजस्व)

13.22 समनुदेशित राजस्व नगरीय स्थानीय निकायों की आय का महत्पूर्ण स्रोत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(1) प्रवेश कर (चुंगी क्षतिपूर्ति) अनुदान
(2) यात्री कर अनुदान
(3) स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क अनुदान
(4) मनोरंजन कर अनुदान
(5) विदेशी मदिरा शुल्क अनुदान
(6) आबकारी शुल्क अधिभार अनुदान
(7) वाहनों पर कर अनुदान
(8) सामान्य प्रयोजन अनुदान
(9) गौण खनिज रायल्टी अनुदान।

प्रवेश कर (चुंगी क्षतिपूर्ति) अनुदान

13.23 चुंगी वर्ष 1974 में समाप्त कर दी गई थी, इससे होने वाली आय की हानि की क्षतिपूर्ति नगरीय स्थानीय निकायों को की जा रही है। इसके स्थान पर प्रवेश कर प्रारंभ किया गया था जिसकी वसूली नगरीय स्थानीय निकाय कर रहे थे। बाद में वर्ष 1996 में इसकी वसूली राज्य शासन द्वारा की जाने लगी एवं उससे प्राप्त राशि नगरीय स्थानीय निकायों को दी जाने लगी। 1 सितम्बर 2007 से छत्तीसगढ़ शासन ने नीति परिवर्तित कर दी, अब वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 26 रू. प्रति व्यक्ति प्रति माह चुंगी क्षतिपूर्ति दी जा रही है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

13.24 राज्य शासन भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम 1889 के अंतर्गत हस्तांतरण पत्रकों की लिखितों पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाता है। पूर्व में स्टाम्प ड्यूटी 9 प्रतिशत निर्धारित थी, परन्तु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन द्वारा किये गये सुधारों की शर्तों के अनुरूप शासन द्वारा इसे कम करते हुए 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में 1 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को दिया जाता है।

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 की अवधि में नगरीय स्थानीय निकायों के समनुदेशित राजस्व का विवरण तालिका 13.7 में दर्शित है।

तालिका 13.7
नगरीय स्थानीय निकायों का समनुदेशित राजस्व

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक.	योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	प्रवेश कर (चुंगी क्षतिपूर्ति) अनुदान	860.00	935.98	893.24	936.00
2	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क अनुदान	55.00	62.00	69.00	69.00
3	विदेशी मदिरा लायसेंस शुल्क अनुदान	19.20	19.20	19.42	35.50
4	वाहन पर कर अनुदान	5.40	5.40	5.40	5.40
5	मनोरंजन कर अनुदान	12.10	16.01	19.38	20.10
6	आबकारी शुल्क अधिभार अनुदान	12.00	13.19	13.51	14.46
7	यात्री कर अनुदान	8.00	8.00	8.00	8.00
8	सामान्य प्रयोजनीय अनुदान	8.00	8.00	8.00	8.00
9	गौण खनिज रायल्टी अनुदान	0.00	3.03	4.65	4.43
	योग	**979.70**	**1070.81**	**1040.60**	**1100.89**

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

13.25 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर प्रभावशील हो गया है। नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। सभी अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया गया है एवं इसे क्षतिपूर्ति के रूप में नगरीय स्थानीय निकायों को दिया जायेगा, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

केन्द्र शासन से हस्तांतरित राशि

13.26 राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भी केन्द्र शासन से राशि प्राप्त होती है।

13.27 उपरोक्त राशि में केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा दिया गया अनुदान एवं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली केन्द्र शासन प्रवर्तित योजनाओं हेतु दिया जाने वाला अनुदान सम्मिलित होता है।

13.28 राज्यों के लिए 14वें वित्त आयोग से अंतरण में 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरण में राज्य की हिस्सेदारी जो 13वें वित्त आयोग में मात्र 2.42 प्रतिशत थी, बढ़कर 14वें वित्त आयोग में 3.08 प्रतिशत हो गई है।

तालिका 13.8 में नगरीय स्थानीय निकायों को 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में आवंटित राशि का विवरण दर्शित है।

तालिका 13.8

नगरीय स्थानीय निकायों को 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान, वर्ष 2015-2020

(करोड़ रूपये में)

अनुदान का घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योग
मूल अनुदान	152.39	211.01	243.80	282.04	381.09	1270.33
निष्पादन अनुदान	0.0	62.28	70.47	80.03	104.80	317.58
योग	**152.39**	**273.29**	**314.27**	**362.07**	**485.89**	**1587.91**

स्रोत - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़

ऋण

13.29 नगर पालिका अधिनियमों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय, वित्तीय एवं अन्य संस्थानों से पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण सुविधा हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऋण में अनुदान का एक भाग सम्मिलित रहता है, जो नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के लिए अलग-अलग होता है। यह एक प्रकार से अच्छा संकेत है, क्योंकि नगरीय स्थानीय निकाय यह सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि अपनी ओर से बिना कोई प्रयास किए वे केवल शासकीय अनुदानों पर निर्भर नहीं रह सकते।

17 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा मार्च 2017 तक रू. 376.19 करोड़, ऋण सुविधा का उपयोग अधोसंरचना विकास यथा व्यावसायिक परिसर, सीवरेज, बाजार स्थलों का विकास आदि के लिए किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इन्हें प्रतिमाह दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति से इस ऋण के किश्तों की वसूली समायोजन द्वारा की जाती है। मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के पश्चात् भी नगरीय स्थानीय निकायों पर रू. 239.61 करोड़ बकाया है। इसमें बिलासपुर नगर पालिक निगम पर रू. 231.52 करोड़ एवं रायपुर नगर पालिक निगम पर रू. 5.19 करोड़ बकाया है, शेष राशि 15 नगरीय स्थानीय निकायों पर बकाया है। (तालिका 13.9)

तालिका 13.9

नगरीय स्थानीय निकाय : ऋण की स्थिति

(लाख रूपये में)

क्रमांक.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	ऋण राशि	कुल बकाया
1	अंबिकापुर	133.49	0
2	भिलाई	94.20	0
3	भिलाई चरोदा	581.18	24.58
4	बिलासपुर	21853.18	23152.77
5	डोंगरगांव	75.00	0
6	दुर्ग	482.77	0
7	गोबरानवापारा	27.93	0

8	गौरेला	58.12	0
9	जगदलपुर	240.82	0
10	कांकेर	30.00	0
11	कवर्धा	530.74	264.76
12	खरसिया	138	0
13	कोरबा	7124	0
14	रायगढ़	122.67	0
15	रायपुर	5487.37	519.02
16	राजनांदगांव	601.67	0
17	तखतपुर	38.12	0
	योग	**37619.26**	**23961.13**

स्रोत - संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स्थानीय नगरीय निकायों को अधोसंरचना सुविधाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग एवं बॉन्ड मार्केट से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नगरीय स्थानीय निकायों को ऐसी व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजना बनानी चाहिए जिससे उन्हें बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से आसानी से ऋण प्राप्त हो सके। तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ शहरों ने नगरीय अधोसंरचना के वित्त पोषण हेतु डेब्ट मार्केट बॉन्ड का उपयोग किया है।

आयोग यह अनुशंसा करता है कि स्थानीय नगरीय निकायों को अपनी क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उन्हें अपनी ऋण पात्रता की सीमा मालूम हो तथा वे वित्तीय बाजार से ऋण लेने के लिए योग्य बन सकें।

लेखा

13.30 वर्तमान में द्वि-प्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपनाए जाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में अधिकांश नगरीय स्थानीय निकायों ने द्वि-प्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपना लिया है। इसके बावजूद नगरीय स्थानीय निकायों के स्तर पर द्वि-प्रविष्टि लेखा प्रणाली अपनाने में काफी कठिनाईयां हैं जिनमें निम्न महत्वपूर्ण हैं :-

1. प्रभावी निगरानी का अभाव।
2. स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा सीए फर्म को संबंधित अभिलेखों का प्रदाय नहीं किया जाना।
3. सीए फर्म द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मियों को प्रशिक्षण न दिया जाना एवं उनका उन्मुखीकरण न किया जाना, जिसके कारण वे इस दिशा में आत्म निर्भर नहीं हो सके हैं।
4. कम्प्यूटर सिस्टम एवं ब्राडबेंड इंटरनेट सुविधा का अभाव।
5. लेखा कर्मियों का अभाव और जो कर्मी कार्यरत हैं वे कम्प्यूटर संचालन में दक्ष नहीं हैं परिणाम स्वरूप ऑनलाईन एंट्री किये जाने में अक्षम हैं।

13.31 शासन द्वारा द्वि-प्रविष्टि लेखा प्रणाली को त्वरित लागू करने के लिए संसाधनों के निवेश के बावजूद किए गए प्रयासों के परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं।

आयोग अनुशंसा करता है कि पर्याप्त संख्या में लेखापालों की पदस्थापना सभी नगरीय स्थानीय निकायों में की जाए और एक निश्चित समय-सीमा में अधिकारियों की आंतरिक क्षमता का विकास किया जाए।

नगरीय स्थानीय निकायों में परिसम्पत्तियों का स्कंध

13.32 आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि नगरीय स्थानीय निकायों में परिसम्पत्तियों के अभिलेखों का संधारण व्यवस्थित नहीं है। भारत सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की परिसम्पत्तियों के अभिलेखीकरण हेतु एक एप्लीकेशन राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका - नेशनल एसेट्स डायरेक्टरी का विकास किया है, जिसका विस्तृत विवरण वेबसाईट www.assetdirectory.gov.in में उपलब्ध है। इस वेबसाईट के निर्माण का लक्ष्य नगरीय स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, संबंधित विभागों द्वारा सभी निर्मित, नियंत्रित एवं अनुरक्षित परिसम्पत्तियों के स्कंध का संधारण किया जाना है। विशिष्ट पहचान हेतु प्रत्येक परिसम्पत्ति को एक कोड प्रदान किया गया है, जिससे परिसम्पत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। प्राथमिक तौर पर नेशनल एसेट्स डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर का उपयोग नगरीय स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं राज्य के अन्य संबंधित विभागों के द्वारा किया जाएगा।

आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों को परिसंपत्तियों का स्कंध लेने के लिए एकबार ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिसमें सभी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए एक मानक प्रारूप बनाया जा सके। इस प्रारूप में संपत्तियों की भौतिक स्थिति, संख्यांक और उनका पूरा विवरण सम्मिलित होगा। इसके संचालन के लिए भी एक मानक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे ऐसे स्कंधों का अभिलेखीकरण एवं व्यवस्थापन का कार्य प्रत्येक नगरीय निकाय में निश्चित समयावधि में अद्यतन किया जा सके। ऐसे अभिलेख को बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की जिम्मेदारी निर्दिष्ट अधिकारी को दी जानी चाहिए।

अंकेक्षण (लेखा परीक्षा)

13.33 नगरीय स्थानीय निकायों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन में अंकेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय वित्त विभाग के अधीन है, जिस पर नगरीय स्थानीय निकायों के लेखों के अंकेक्षण की जिम्मेदारी है। अधिक संख्या में अंकेक्षण आपत्तियों का लंबित होना और नगरीय स्थानीय निकायों के द्वारा निराकरण की कार्यवाही न करना एक गंभीर चिंता का विषय है। लंबित अंकेक्षण कंडिकाओं का विवरण तालिका 13.10 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्र. 13.10

लंबित अंकेक्षण कंडिकाओं का विवरण वर्ष 2016-17 की स्थिति में

क्रमांक	स्थानीय नगरीय निकाय	कुल लंबित	वर्तमान में निराकृत
1	नगर पालिक निगम	7068	1429
2	नगर पालिका परिषद	10281	1731
3	नगर पंचायत	12550	2296
4	योग	29899	5456

स्रोत - स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़

नगरीय स्थानीय निकायों में कुल 69023 अंकेक्षण कंडिकाएं लंबित हैं जो 449.66 करोड़ रूपये की राशि से संबंधित हैं। (तालिका 13.11)

तालिका क्र. 13.11

नगरीय स्थानीय निकायों में अंकेक्षण आपत्तियों का विस्तृत विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	नगरीय स्थानीय निकाय	कुल आपत्तियां		आपत्तियां जिनका निराकरण किया गया		शेष आपत्तियां	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	नगर पालिक निगम	15429	332.32	24	1.87	15225	330.45 (73.49%)

2	नगर पालिका परिषद	16909	49.62	157	0.30	16752	49.32 (10.97%)
3	नगर पंचायत	37329	70.08	283	0.19	37046	69.89 (15.54%)
	योग	**69487**	**452.02**	**464**	**2.36**	**69023**	**449.66**(100.00%)

स्रोत - स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़

नगर पालिक निगमों में संबंधित कुल राशि के 73.49 प्रतिशत अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण शेष है, जो कि काफी अधिक है। इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में कर्मचारियों की कमी है साथ ही सूचना तकनीक का सीमित उपयोग करने के कारण यह संचालनालय सभी नगरीय स्थानीय निकायों के अंकेक्षण करने में असमर्थ है। इस समस्या के कारण न सिर्फ अंकेक्षण कार्य लंबित हो रहा है अपितु नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने में भी बाधा आ रही है। इस समस्या का तत्काल निदान करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। एक विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित अंकेक्षण कंडिकाओं का शीघ्रता से निराकरण किया जाना चाहिए। नगरीय स्थानीय निकायों की अंकेक्षण प्रणाली में अनेक समस्याएं हैं, जैसेः-

1. नगरीय स्थानीय निकायों में उचित लेखा प्रणाली का अभाव।
2. अंकेक्षण के समय लेखा अभिलेखों का प्रदाय नहीं किया जाना।
3. अंकेक्षण आपत्तियों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना।
4. नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अंकेक्षण शुल्क का भुगतान नहीं करना।
5. नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं करना।
6. आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीक का सीमित उपयोग।

आयोग अनुशंसा करता है कि वित्तीय नियंत्रण एवं पारदर्शिता हेतु नगरीय स्थानीय निकायों में पूर्व अंकेक्षण प्रणाली अपनायी जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि

13.34 छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003 के अंतर्गत राज्य शासन ने अधोसंरचना विकास निधि का गठन किया है। इस निधि के दो खाते होते हैं (1) न्यागमन खाता (2) अधोसंरचना खाता। इस कोष के गठन के उद्देश्यों में चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में प्रवेश कर का नगरीय स्थानीय निकायों को न्यागमन, विशिष्ट प्रयोजनों हेतु कोष से अनुदानों की स्वीकृति, नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य शासन, राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदानों को सही तरीके से वितरित करना, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कोष से सीधे प्राप्त की गई राशियों की किश्त का पुर्नभुगतान एवं नये ऋणों के भुगतान की जवाबदारी लेना आदि सम्मिलित हैं। प्रवेश कर की प्राप्तियां, राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, शासन के अनुदान एवं अन्य कोषों से प्राप्तियां इस कोष में रखी जाती हैं। प्रवेश कर की वह राशि जो नगरीय स्थानीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी, विदेशी मदिरा लाईसेंस एवं अन्य प्रतिकर जो नगरीय स्थानीय निकायों को दिये जाना है वे भी इसी कोष से संचालित होते हैं। मूलभूत सेवाओं के सुधार हेतु राज्य वित्त आयोग के अनुदान एवं पूंजीगत व्यय हेतु राज्य शासन के अनुदान इसमें सम्मिलित रहते हैं। न्यागमन खाते से प्रवेश कर की 1 प्रतिशत राशि नगरीय स्थानीय निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए यांत्रिकी प्रकोष्ठ (टेक्नीकल सेल) में जमा की जाती है।

पूंजीगत व्यय के प्रादर्श (मॉडल्स)

13.35 नगरीय अधोसंरचना परिसंपत्तियों यथा जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कों इत्यादि के निर्माण एवं संधारण हेतु पूंजीगत व्यय आवश्यक हैं। इस हेतु पूंजीगत व्यय के मॉडल विकसित करने

की आवश्यकता है। आयोग ने वित्तीय बाजार से ऋण लेने, क्रेडिट रेटिंग एवं पीपीपी मॉडल को अपनाने आदि के बारे में विवेचना की है।

भूमि आधारित राजस्व संसाधन

13.36 आयोग द्वारा अन्य अध्याय में यह अनुशंसा की गई है कि नगरीय स्थानीय निकायों को परिसंपत्तियों के निर्माण एवं विकास हेतु भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए। भूमि आधारित राजकोषीय उपायों की चर्चा की जाती है, जो नगरीय निकायों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कोष की व्यवस्था का एक प्रमुख साधन है। इसके क्रियान्यवन के लिए स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है। यहां प्रमुख मुद्दा यह है कि संवैधानिक रूप से भूमि राज्य का विषय है। इन उपायों से संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है।

आयोग अनुशंसा करता है कि भूमि से हो सकने वाली आय यथा- परिवर्तन (व्यपवर्तन) शुल्क, सुधार शुल्क, विकास शुल्क आदि के स्रोत का विवरण दर्शाते हुए उपलब्ध भूमि की सूची बनाई जाए। कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) पर एक निर्धारित सीमा के ऊपर शुल्क आदि का निर्धारण संपूर्ण योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत रहते हुए इसे एक पारदर्शी एवं उत्तरदायी तंत्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे भूमि मूल्यांकन आधारित स्रोत का शहरी अधोसंरचना की परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग किया जा सके।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी/3पी/पी3)

13.37 सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू करने का एक माध्यम है। नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपयुक्त पीपीपी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए जैसे- प्रबंधन के लिए संविदा, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो (BOT) एवं बनाओ, रखो, चलाओ और हस्तांतरित करो (BOOT) आदि पद्धतियों का उपयोग ऐसे कार्यों हेतु किया जा सकता है। जहां अत्यधिक राशि एवं उच्चस्तरीय प्रबंधन की आवश्यकता हो और जहां परिपक्वता अवधि लंबी हो इन पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। सीवरेज शोधन सयंत्र का परिचालन एवं संधारण, जल शोधन संयंत्र, जल प्रदाय परियोजना, घर-घर से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, कम्पोस्ट खाद एवं कचरे से विद्युत उत्पादन, पार्किंग परिसर, आदि के लिए इस मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। नगरीय स्थानीय निकाय इन कार्यों हेतु विशिष्ट प्रयोजन संस्था (एसपीव्ही) का गठन कर सकती हैं। राज्य शासन इस हेतु सक्षम नीति बनाकर नियामक एवं संस्थागत ढांचा तैयार कर सकती है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का निम्नलिखित नगरो की स्थानीय निकायों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है :-

क्र.	नगरपालिका सेवाएं/गतिविधियां	नगर/नगरीय स्थानीय निकाय
1	सफाई (सेनीटेशन)	ठाणे, नवी मुम्बई, लुधियाना, बेंगलुरू, कोलकाता, अमरावती
2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	अहमदाबाद, नासिक, पुणे, कोलकाता, सूरत, हल्दिया, मदुराई, अलंदुर
3	जल आपूर्ति	कोलकाता, विशाखापट्टनम, नागपुर
4	सड़क सफाई	सूरत, अहमदाबाद, नासिक
5	जल कर, सम्पत्ति कर, कर्मचारियों का वेतन आदि का बिल बनाना	लुधियाना, उल्हासनगर
6	व्यावसायिक परिसर	इन्दौर

चक्रीय कोष (Revolving Fund) का गठन

13.38 नगरीय स्थानीय निकायों को वाणिज्यिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय चक्रीय कोष का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वे अधोसंरचना के लिए वित्त की व्यवस्था कर सकें। इस ऋण के भुगतान को पुनः इसी कोष में जमा कराया जाए जिससे कोष व्यावहारिक और स्थाई हो सके। वाणिज्यिक परियोजना की व्यवहारिकता एवं वित्तीय सुधारों के क्रियान्वयन के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने पर नगरीय स्थानीय निकायों की साख एवं ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस कोष का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को गति देने के लिए भी किया जा सकता है।

सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादन पर पुरस्कार

13.39 *नगरीय स्थानीय निकायों को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निम्नानुसार नगद पुरस्कार दिये जाने की अनुशंसा की जाती है :-*

1. ***कार्य निष्पादन के आधार पर एक पुरस्कार निम्न विषय पर रहेगा (वर्ग-I) :-***
   - *स्वयं के स्रोत से अतिरिक्त आय का अर्जन (भूमि के विक्रय को छोड़कर) इसकी गणना पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में प्राप्त की गई उपलब्धि पर आधारित होगा।*
   - *लेखा संधारण जिसमें परिसंपत्तियों के रजिस्टर को अद्यतन रखना शामिल रहेगा।*
   - *उत्पादक कार्यों हेतु निर्धारित समय पर कोष का उपयोग।*
2. ***निम्न क्षेत्रों में एक पुरस्कार सुविधाओं के प्रदाय के स्तर पर आधारित होगा (वर्ग-II) :-***
   - *स्वच्छता*
   - *स्ट्रीट लाईट*
   - *गंदे पानी की निकासी*
   - *ठोस अपशिष्ट का निराकरण*
   - *सार्वजनिक स्थलों का रख-रखाव*

नगरीय स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले पुरस्कारों पर होने वाले व्यय का विवरण तालिका 13.12 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 13.12
पुरस्कारों हेतु राशि की आवश्यकता

(लाख रूपये में)

नगरीय स्थानीय निकाय	राज्य स्तरीय पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार की राशि	कुल राशि
नगर पालिक निगम	वर्ग - I - 1 वर्ग - II - 1	20.00 20.00	40.00
नगर पालिका परिषद	वर्ग - I - 3 वर्ग - II - 3	15.00, 10.00, 5.00 15.00, 10.00, 5.00	60.00
नगर पंचायत	वर्ग - I - 3 वर्ग - II - 3	10.00, 7.50, 5.00 10.00, 7.50, 5.00	45.00
		योग	**145.00**

पुरस्कारों हेतु नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का चयन राज्य शासन द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।

13.40 *आयोग यह अनुशंसा करता है कि वार्ड एवं मोहल्ला समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी समितियाँ जिन्होंने सम्पत्ति कर की चालू मांग के 90 प्रतिशत तक वसूली में योगदान दिया हो, के लिए उस राशि का 20 से 25 प्रतिशत तक सुरक्षित रखा जाये। यह राशि इन मोहल्ला समितियों द्वारा सुझाये गये अधोसंरचना या अन्य सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी। नागरिक समुदायों में इससे सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा न सिर्फ आय के साधनों को गतिशील बनाने में वरन् विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। आयोग का यह मत है कि इससे सक्रिय भागीदारी की संस्कृति पैदा होगी जो दीर्घकाल में सतत् विकास में सहायक होगी।*

13.41 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवर्ष एक पार्षद निधि एल्डरमेन सहित सभी पार्षदों को दी जाती है। इसका उपयोग सड़कों के संधारण एवं मरम्मत, नालियों, जल प्रदाय व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय आदि के लिए किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा यह निधि छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसरंचना कोष से दी जाती है।

आयोग अनुशंसा करता है कि पार्षद निधि की राशि अधोसंरचना कोष से देने के स्थान पर विभागीय बजट से प्रदान किया जाना चाहिए।

प्राप्ति एवं व्यय

13.42 आयोग द्वारा सभी 168 नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय स्थिति (वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16) का परीक्षण किया गया है, जिससे इनकी वित्तीय सुदृढ़ता का पता लगाया जा सके। संक्षिप्त विवरण तालिका 13. 13 में दर्शित किया गया है।

तालिका क्र. 13.13
168 नगरीय स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र.	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	धारा 132(1) के अंतर्गत अनिवार्य कर	161.78	174.82	197.84	215.33	246.19	995.96
2	धारा 132(6) के अंतर्गत विवेकाधीन कर	77.39	107.33	116.31	125.95	129.17	556.15
3	विभिन्न करों से राजस्व	90.68	115.20	148.75	190.48	148.97	694.08
4	स्वयं के संसाधनों से प्राप्त कुल राजस्व	329.85	397.35	462.90	531.76	524.33	2246.18
5	राज्य शासन से हस्तांतरित राशि	467.14	670.43	517.88	646.55	571.01	2873.01
6	केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान	906.10	943.40	999.78	834.70	722.66	4406.64
7	कुल अन्य राजस्व एवं अनुदान	1373.24	1613.83	1517.66	1481.25	1293.67	7279.65
8	सकल कुल आय	1703.09	2011.18	1980.56	2013.01	1818.00	9525.84
9	सकल राजस्व व्यय	424.89	450.80	560.34	590.90	477.75	2504.68
10	सकल पूंजीगत व्यय	598.27	881.06	1291.81	976.46	785.93	4533.53
11	सकल कुल व्यय	1023.16	1331.86	1852.15	1567.36	1263.68	7038.21
12	सकल आधिक्य या कमी	679.93	679.32	128.41	445.65	554.32	2487.63

स्रोत - शहरी विकास अभिकरण एवं एकत्रित किए गए आंकड़े

उपरोक्त तालिका से एक तथ्य उभरकर सामने आता है कि सभी नगरीय स्थानीय निकायों ने सम्मिलित रूप से पर्याप्त अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी है। यह एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है, जो राजकीय कोष में अन्य संस्थाओं की तरह घाटा करने के बजाय धनात्मक योगदान दे रहा है।

वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 लगातार दो वर्षों में जहां पर्याप्त आधिक्य राशि अर्जित की गई है, वहीं नगरीय स्थानीय निकायों में वर्ष 2013-14 में इसमें अचानक गिरावट दृष्टिगत होती है। नगरीय स्थानीय निकायों ने सम्मिलित रूप से उनकी आधिक्य राशि का लगभग 81 प्रतिशत गवां दिया। वर्ष 2012-13 में जहां

आधिक्य 679.32 करोड़ रूपये था वहीं वित्तीय वर्ष 2013-14 में यह घटकर 128.41 करोड़ रूपये रह गया। इस गिरावट पर समय रहते अंकुश लगाने के कारण वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में इसमें पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई, जिससे स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सका।

वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में पूंजीगत व्यय बढ़कर 46.67 प्रतिशत हो गया, साथ ही राजस्व व्यय में भी 24.30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस तरह कुल मिलाकर कुल व्यय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 में आधिक्य राशि घटने हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। सभी करों से प्राप्तियाँ, केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से प्राप्तियाँ इस कमी की पूर्ति करने में असमर्थ रही हैं।

13.43 नगरीय स्थानीय निकायों की कुल प्राप्ति को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ''स्वयं के स्रोतों से राजस्व आय'' एवं राज्य शासन, केन्द्र शासन से अंतरित राशि/अनुदान। इन दो स्रोतों का 5 वर्षों का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका क्र. 13.14 में वर्णित है।

तालिका क्र 13.14

सभी नगरीय निकायों के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व एवं अनुदानों का कुल राजस्व से अनुपात

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	स्वयं के स्रोतों से राजस्व	329.90	397.35	462.90	531.75	524.33	2246.23
		19.37%	19.76%	23.37%	26.42%	28.84%	23.55
2	केन्द्र एवं राज्य अनुदान से प्राप्त राजस्व	1373.24	1613.83	1517.66	1481.25	1293.67	7279.65
		80.63%	80.24%	76.63%	73.58%	71.16%	76.45
	कुल राजस्व	1703.14	2011.18	1980.56	2013.00	1818.00	9525.88
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य नगरीय विकास अभिकरण एवं स्थल से प्राप्त जानकारी के आधार पर

नगरीय स्थानीय निकायों में स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व एवं कुल राजस्व के अनुपात का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में 19.37 था जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 28.84 हो गया। इस प्रकार वर्ष 2011 से वर्ष 2016 की 5 वर्ष की अवधि में इसका औसत लगभग 24 प्रतिशत रहा। शेष लगभग 76 प्रतिशत राजस्व राज्य एवं केन्द्र शासन से हस्तांतरित राशि एवं अनुदान का है। यह एक स्वस्थ्य स्थिति नहीं कही जा सकती है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व का अंश बहुत कम है एवं राज्य और केन्द्र शासन के अनुदानों और उनसे अंतरित राशि पर निकायों की निर्भरता अत्यधिक है। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों के आंतरिक संसाधनों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, जिससे वे राज्य शासन की दया पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर बने। आयोग का अभिमत है कि यह अनुपात 35 से 40 प्रतिशत की सीमा में रहना चाहिए। इससे नगरीय स्थानीय निकायों की स्वायत्तता एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो स्वतंत्र सुधारों के लिए आधार एवं नींव का कार्य करेगा।

इसके पूर्व वर्ष 2006 से वर्ष 2011 में यह अनुपात 22:78 था, जबकि वर्ष 2011 से वर्ष 2016 में यह 24:76 है। इससे स्पष्ट होता है कि इस दिशा में लंबे समय से कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

व्यय

13.44 नगरीय स्थानीय निकायों के कुल व्यय को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है - कुल राजस्व व्यय एवं कुल पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति के होते हैं, जैसे- कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, प्रबंधन के व्यय, संचालन एवं संधारण व्यय आदि। पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की अधोसंरचना परियोजनाएं यथा- जल प्रदाय, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बरसाती पानी का निकास, सड़कें, सड़क बत्ती इत्यादि शामिल हैं।

तालिका 13.15 में पिछले 5 वर्षों का राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 13.15

168 स्थानीय नगरीय निकायों के राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	कुल राजस्व व्यय	424.89	450.80	560.34	590.90	477.75	2504.68
		41.53%	33.85%	30.25%	37.70%	37.81%	36.23
2	कुल पूंजीगत व्यय	598.27	881.06	1291.81	976.46	785.93	4533.53
		58.47%	66.15%	69.75%	62.30%	62.19%	63.77
	कुल व्यय	1023.16	1331.86	1852.15	1567.36	1263.68	7038.21
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - शहरी विकास अभिकरण एवं स्थल से प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता कि वर्ष 2011 से वर्ष 2016 की 5 वर्ष की अवधि में कुल राजस्व व्यय औसतन लगभग 36 प्रतिशत एवं पूंजीगत व्यय औसतन लगभग 64 प्रतिशत रहा। जबकि पूर्व में वर्ष 2006 से 2011 की 5 वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय 42 प्रतिशत एवं पूंजीगत व्यय 58 प्रतिशत था।

यदि हम तालिका क्र. 13.14 एवं 13.15 का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि औसतन राजस्व व्यय 36 प्रतिशत है, जबकि स्वयं के स्रोत से औसतन राजस्व प्राप्ति 24 प्रतिशत थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगरीय स्थानीय निकाय अपने राजस्व व्यय के काफी बड़े अंश के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के अंतरण एवं अनुदान पर निर्भर है। यह एक उत्साह जनक स्थिति नहीं कही जा सकती है। आयोग का अभिमत है कि इस बात के गंभीर प्रयास किये जाने चाहिए कि स्वयं के स्रोतों से ही राजस्व व्यय पूरा किया जाना चाहिए।

निकायवार विश्लेषण

13.45 168 नगरीय स्थानीय निकायों की 3 श्रेणीयों, 13 नगर पालिक निगम, 44 नगर पालिका परिषद एवं 111 नगर पंचायत की कार्य प्रणाली को बेहतर समझने के लिए वित्तीय स्थिति का 5 वर्षों का अध्ययन (वर्ष 2011 से वर्ष 2016) नीचे दिया गया है।

13 नगर पालिक निगमों के आय एवं व्यय का विश्लेषण

13.46 राज्य की सभी 13 नगर पालिक निगमों में अनिवार्य, विवेकाधीन एवं विविध करों की वसूली में लगातार किन्तु धीमी गति से वृद्धि हो रही है। राज्य एवं केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान व अंतरण की राशि तथा कुल व्यय वर्ष 2006 से वर्ष 2011 के समान ही हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई, वर्ष 2012-13 में जहां पूंजीगत व्यय 753.05 करोड़ रूपये था, वर्ष 2013-14 में यह बढ़कर 1153.82 करोड़ रूपये हो गया। इससे पूर्व की आधिक्य राशि पर बहुत गहरा विपरीत असर पड़ा एवं इन निकायों की आधिक्य की राशि लगभग समाप्त हो गई। कुल मिलाकर वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में कुल आधिक्य राशि में 95 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

तालिका क्र. 13.16

सभी 13 नगर पालिक निगमों की प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र.	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	धारा 132(1) के अंतर्गत अनिवार्य कर	127.53	140.60	160.91	169.85	196.32	795.21

2	धारा 132(6) के अधीन विवेकाधीन कर	56.18	55.07	63.90	63.86	60.87	299.88
3	विविध करों से राजस्व	75.05	96.68	129.19	169.00	125.10	595.02
4	स्वयं के स्रोतों से कुल राजस्व प्राप्ति	258.76	292.35	354.00	402.71	382.29	1690.11
5	राज्य शासन से अंतरित राशि	350.90	499.84	348.98	484.18	409.92	2093.82
6	केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान	838.37	811.52	895.18	742.86	590.58	3878.51
7	अन्य कुल राजस्व एवं अनुदान	1189.27	1311.36	1244.16	1227.04	1000.50	5972.53
8	कुल प्राप्तियां	1448.03	1603.71	1598.16	1629.75	1382.79	7662.44
9	कुल राजस्व व्यय	331.72	333.50	418.66	439.30	315.92	1839.10
10	कुल पूंजीगत व्यय	530.34	753.05	1153.82	867.36	654.30	3958.87
11	कुल व्यय	862.06	1086.55	1572.48	1306.66	970.22	5797.97
12	कुल आधिक्य या कमी	585.97	517.16	25.68	323.09	412.57	1864.47

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं स्थल से प्राप्त जानकारी के आधार पर

13.47 विगत विचाराधीन 5 वर्षों में नगर पालिक निगमों के स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियों में नियमित वृद्धि होती रही है। यदि इन 13 नगर पालिक निगमों की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि ये अन्य नगरीय स्थानीय निकायों के समान ही शासन से प्राप्त अनुदानों और अंतरित राशि पर निर्भर है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि शासन से प्राप्त अनुदान और अंतरित राशि प्रति वर्ष घट रही है। नगर पालिक निगमों में कुल प्राप्तियों में यह हिस्सा लगभग 78 प्रतिशत है, जबकि सभी 168 नगरीय स्थानीय निकायों में यह लगभग 76 प्रतिशत है।

तालिका क्र. 13.17

13 नगर पालिक निगमों के स्वयं के स्रोतों से राजस्व एवं अनुदानों का कुल आय से अनुपात

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

क्रमांक	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	स्वयं के स्रोतों से राजस्व	258.76	292.35	354.00	402.72	382.29	1690.12
		17.87%	18.23%	22.15%	24.71%	27.65%	22.12%
2	अनुदान से प्राप्ति	1189.27	1311.36	1244.16	1227.04	1000.50	5972.33
		82.13%	81.77%	77.85%	75.29%	72.35%	77.88%
	कुल राजस्व	1448.03	1603.71	1598.16	1629.76	1382.79	7662.45
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

13.48 सभी 168 स्थानीय नगरीय निकायों का औसत राजस्व व्यय 36 प्रतिशत है, जबकि 13 नगर पालिक निगमों के लिए यह व्यय 32.40 प्रतिशत है। सभी स्थानीय नगरीय निकायों का औसत पूंजीगत व्यय 64 प्रतिशत है, जबकि सभी नगर पालिक निगमों के लिए यह 67.60 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि होना है। इसी वर्ष पूंजीगत व्यय, कुल व्यय का 73.38 प्रतिशत रहा जो कि एक असामान्य घटना थी। आने वाले 2 वर्षों में यह स्थिति पुनः सामान्य स्तर पर आ गई।

तालिका क्र. 13.18
13 नगर पालिक निगमों के राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

क्रमांक	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	कुल राजस्व व्यय	331.72	333.50	418.66	439.30	315.92	1839.10
		38.48%	30.69%	26.62%	33.62%	32.56%	32.40%
2	कुल पूंजीगत व्यय	530.34	753.05	1153.82	867.36	654.30	3958.87
		61.52%	69.31%	73.38%	66.38%	67.44%	67.60%
	कुल व्यय	862.06	1086.55	1572.48	1306.66	970.22	5797.97
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं स्थल से प्राप्त आंकड़े

नगर पालिका परिषदों की प्राप्तियों एवं व्ययों का विश्लेषण

राज्य की सभी 44 नगर पालिका परिषदों के वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक की प्राप्तियों एवं व्ययों का विश्लेषण निम्न तालिका में संक्षिप्ततः दर्शित है।

13.49 विवेचनाधीन 5 वर्षों में नगर पालिका परिषदों ने अनिवार्य, विवेकाधीन एवं विविध करों के संग्रहण में नियमित वृद्धि दर्ज की है। केवल वित्तीय वर्ष 2013-14 में वर्ष 2012-13 की तुलना में आंशिक गिरावट दिखाई देती है। इसी प्रकार कुल अनुदान एवं राज्य से अंतरण से प्राप्त राशि में भी आंशिक गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 2014-15 में विवेचनाधीन सभी विषयों के प्रदर्शन में कमी दिखाई देती है। किन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस प्रदर्शन में पर्याप्त सुधार दिखाई देता है।

तालिका क्र. 13.19
44 नगर पालिका परिषदों की प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	मद का का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	धारा 132(1) के अंतर्गत अनिवार्य कर	18.97	20.80	22.28	27.34	30.61	120.00
2	धारा 132(6) के अधीन विवेकाधीन कर	10.16	15.18	11.56	12.34	14.38	63.62
3	विविध करों से राजस्व	8.35	11.30	10.40	12.85	13.86	56.76
4	स्वयं के स्रोतों से कुल राजस्व	37.48	47.28	44.24	52.53	58.85	240.38
5	राज्य शासन से अंतरित राशि	70.28	96.43	100.66	90.87	103.40	461.64
6	केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान	25.66	50.85	39.34	27.15	48.95	191.95
7	अन्य कुल राजस्व एवं अनुदान	95.94	147.28	140.00	118.02	152.35	653.59
8	कुल प्राप्तियां	133.42	194.56	184.24	170.55	211.20	893.97
9	कुल राजस्व व्यय	62.00	71.78	91.97	97.82	101.93	425.50
10	कुल पूंजीगत व्यय	33.63	60.38	72.27	51.83	70.99	289.10
11	कुल व्यय	95.63	132.16	164.24	149.65	172.92	714.60
12	कुल आधिक्य या कमी	37.79	62.40	20.00	20.90	38.28	179.37

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

13.50 44 नगर पालिका परिषदों की स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व 27 प्रतिशत है जबकि सभी नगरीय निकायों की राजस्व प्राप्तियां 24 प्रतिशत है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषदों को प्राप्त होने वाले अनुदान एवं अंतरण की राशि 73 प्रतिशत है जबकि सभी 168 नगरीय निकायों का यह प्रतिशत 76 है। यद्यपि यह अंतर काफी कम है किन्तु इसे एक सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

तालिका क्र. 13.20

44 नगर पालिका परिषदों के स्वयं के स्रोतों से राजस्व एवं अनुदानों का कुल आय से अनुपात

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

क्रमांक	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	स्वयं के स्रोतों से राजस्व	37.48	47.28	44.24	52.53	58.85	240.38
		28.09%	24.30%	24.01%	30.80%	27.86%	27.01%
2	अनुदान से प्राप्ति	95.94	147.28	140.00	118.02	152.35	653.39
		71.91%	75.70%	75.99%	69.20%	72.14%	72.99%
	कुल राजस्व	133.42	194.56	184.24	170.55	211.20	893.97
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

13.51 44 नगर पालिका परिषदों का कुल राजस्व व्यय औसतन 60 प्रतिशत है जबकि सभी 168 नगरीय स्थानीय निकायों का औसत राजस्व व्यय 36 प्रतिशत है। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय का औसत 40 प्रतिशत है जबकि सभी 168 स्थानीय नगरीय निकायों का औसत 64 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों में कम व्यय किया गया है। लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आने वाले वर्षो में सेवा प्रदाय के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए।

तालिका क्र. 13.21

44 नगर पालिका परिषदों के राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

क्रमांक	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	कुल राजस्व व्यय	62.00	71.78	91.97	97.82	101.93	425.50
		64.83%	54.31%	56.00%	65.37%	58.95%	59.89%
2	कुल पूंजीगत व्यय	33.63	60.38	72.27	51.83	70.99	289.10
		35.17%	45.69%	44.00%	34.63%	41.05%	40.11%
	कुल व्यय	95.63	132.16	164.24	149.65	172.92	714.60
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

नगर पंचायतों की प्राप्तियों एवं व्ययों का विश्लेषण

राज्य की सभी 111 नगर पंचायतों के वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक के प्राप्तियों एवं व्ययों का विश्लेषण निम्न कंडिकाओं में किया गया है।

13.52 नगर पंचायतें छत्तीसगढ़ राज्य में नगर निकायों की संरचना की श्रेणी में सबसे छोटी श्रेणी की इकाईया हैं। यद्यपि ये संख्यात्मक दृष्टि से बड़ी संख्या में हैं किन्तु उनके गुणात्मक मुद्दे काफी अधिक हैं। संख्या में अधिक होते हुए भी इनका योगदान काफी कम है, परन्तु कभी-कभी ये संसाधनों की बड़ी हानि का कारण भी बन जाते हैं। वर्ष 2012-13 में अनिवार्य, विवेकाधीन एवं विविध करों की वसूली में इनका प्रदर्शन पर्याप्त, अच्छा एवं सराहनीय रहा है। इसी अवधि में राज्य शासन और केन्द्र शासन से अनुदान एवं अंतरण प्राप्ति भी तुलनात्मक

दृष्टि से बेहतर रही है। वर्ष 2006 से वर्ष 2016 की 10 वर्ष की अवधि में नगर पंचायतों को सर्वाधिक राशि रू. 155.19 करोड़ प्राप्त हुई, जिससे उनकी आधिक्य राशि पूर्व वर्ष की तुलना में बढ़कर 77 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2011-2012 में यह रू. 56.22 करोड़ थी जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर रू. 99.76 करोड़ हो गई। ऐसी वार्षिक वृद्धि की दर आने वाले वर्षों में नगरीय स्थानीय निकायों में नही देखी गई।

तालिका क्र. 13.22

सभी 111 नगर पंचायतों की प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	धारा 132(1) के अंतर्गत अनिवार्य कर	15.28	13.42	14.65	18.14	19.26	80.75
2	धारा 132(6) के अधीन विवेकाधीन कर	11.05	37.08	40.85	49.75	53.92	192.65
3	विविध करों से राजस्व	7.33	7.22	9.16	8.62	10.01	42.34
4	स्वयं के स्रोतों से कुल राजस्व	33.66	57.72	64.66	76.51	83.19	315.74
5	राज्य शासन से अंतरित राशि	45.96	74.16	68.24	71.50	57.69	317.55
6	केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान	42.07	81.03	65.26	64.69	83.13	336.18
7	अन्य कुल राजस्व एवं अनुदान	88.03	155.19	133.50	136.19	140.82	653.73
8	कुल प्राप्तियां	121.69	212.91	198.16	212.70	224.01	969.47
9	कुल राजस्व व्यय	31.17	45.52	49.71	53.78	59.90	240.08
10	कुल पूंजीगत व्यय	34.30	67.63	65.22	57.27	60.64	285.06
11	कुल व्यय	65.47	113.15	114.93	111.05	120.54	525.14
12	कुल आधिक्य या कमी	56.22	99.76	83.23	101.65	103.47	444.33

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

13.53 111 नगर पंचायतों ने स्वयं के स्रोतों से अर्जित आय के क्षेत्र में राज्य से प्राप्त अनुदान और अंतरण की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल 168 नगरीय स्थानीय निकायों का स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियों का औसत 24 प्रतिशत था जबकि नगर पंचायतों का यह औसत 32.10 प्रतिशत रहा। अतः नगर पंचायतों में स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियों की स्थिति समस्त नगरीय निकायो की तुलना में अच्छी है। सभी नगरीय निकायों के अनुदान से प्राप्तियों एवं कुल प्राप्तियों का अनुपात 76 प्रतिशत है वहीं सभी नगर पंचायतों का यह अनुपात 68 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायतों की निर्भरता केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्तियों पर तुलनात्मक रूप से कम है। इस उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए एवं इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए।

तालिका क्र. 13.23

111 नगर पंचायतों के स्वयं के स्रोतों से राजस्व एवं अनुदान का कुल राजस्व से अनुपात

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

क्रमांक	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	स्वयं के स्रोतों से राजस्व	33.66	57.73	64.66	76.51	83.19	315.75
		27.66%	27.11%	32.63%	35.97%	37.14%	32.10%
2	अनुदान से प्राप्ति	88.03	155.19	133.50	136.19	140.82	653.73
		72.34%	72.89%	67.37%	64.03%	62.86%	67.90%
	कुल राजस्व	121.69	212.92	198.16	212.70	224.01	969.48
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

13.54 जहां सभी 168 नगरीय स्थानीय निकायों का पूंजीगत व्यय का औसत 64 प्रतिशत है वहीं 111 नगर पंचायतों का यह औसत केवल 54 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूंजीगत निवेश इन क्षेत्रों में आवश्यकता से कम है, एवं इस परिस्थिति को समझने के लिए सही आकलन किया जाना चाहिए।

तालिका क्र. 13.24

111 नगर पंचायतों के राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

क्रमांक	मद का विवरण	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
1	कुल राजस्व व्यय	31.17	45.52	49.71	53.78	59.90	240.08
		47.61%	40.23%	43.25%	48.43%	49.69%	45.84%
2	कुल पूंजीगत व्यय	34.30	67.63	65.22	57.27	60.64	285.06
		52.39%	59.77%	56.75%	51.57%	50.31%	54.16%
	कुल व्यय	65.47	113.15	114.93	111.05	120.54	525.14
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

नगरीय स्थानीय निकायों की पिछले 5 वर्षों की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों को समझने के लिए एवं इस क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के सही निरूपण के लिए प्राप्त जानकारी का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

अनिवार्य करों का विश्लेषण

13.55 धारा 132(1) के अधीन अनिवार्य करों की वसूली में अपेक्षा के अनुरूप नगर पालिक निगमों का योगदान 80 प्रतिशत, नगर पालिका परिषदों का योगदान 12 प्रतिशत और नगर पंचायतों का योगदान 8 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगमो की तुलना में नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का योगदान अनिवार्य करों की वसूली में काफी कम है। आयोग के अनुसार नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को अनिवार्य करों की वसूली में अपना योगदान बढाना चाहिए।

तालिका क्र. 13.25
अनिवार्य करों का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

क्रमांक	धारा 132(1) के अधीन अनिवार्य कर	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	127.53	140.60	160.91	169.85	196.32	795.21
		78.83%	80.43%	81.33%	78.88%	79.74%	79.84%
	44 नगर पालिका परिषद	18.97	20.80	22.28	27.34	30.61	120.00
		11.73%	11.90%	11.26%	12.70%	12.43%	12.00%
	111 नगर पंचायत	15.28	13.42	14.65	18.14	19.26	80.75
		9.44%	7.68%	7.40%	8.42%	7.82%	8.16%
	168 स्थानीय नगरीय निकायों का योग	161.78	174.82	197.84	215.33	246.19	995.96
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

विवेकाधीन करों का विश्लेषण

13.56 विवेकाधीन करों के संबंध में 111 नगर पंचायतों का योगदान, 44 नगर पालिका परिषदों के योगदान से अधिक होना दृष्टिगत होता है । यदि विगत 5 वर्षों के योगदान को देखा जाये तो औसतन नगर पंचायतों ने

नगर पालिका परिषदों की तुलना में लगभग 3 गुना योगदान दिया है। सभी स्थानीय नगरीय निकायों के कुल वसूली का लगभग 45 प्रतिशत योगदान नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा किया जा रहा है। यह एक अच्छा संकेत है और इसे आगे और बढ़ाया जाना चाहिए।

तालिका क्र. 13.26
विवेकाधीन करों का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

2	धारा 132(6) के अंतर्गत विवेकाधीन कर	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	56.18	55.07	63.90	63.86	60.87	299.88
		72.59%	51.31%	54.94%	50.70%	47.12%	55.33%
	44 नगर पालिका परिषद	10.16	15.18	11.56	12.34	14.38	63.62
		13.13%	14.14%	9.94%	9.80%	11.13%	11.63%
	111 नगर पंचायत	11.05	37.08	40.85	49.75	53.92	192.65
		14.28%	34.55%	35.12%	39.50%	41.74%	33.04%
	168 स्थानीय नगरीय निकायों का योग	77.39	107.33	116.31	125.95	129.17	556.15
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

विविध करों का विश्लेषण

13.57 विविध करों के मामले में नगर पालिक निगमों का 85 प्रतिशत हिस्से के साथ प्रभुत्व है जबकि नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों का योगदान नगण्य है।

तालिका क्र. 13.27
विविध करों का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

3	विविध कर से राजस्व	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	75.05	96.68	129.19	169.00	125.10	595.02
		82.72%	83.92%	86.85%	88.73%	83.98%	85.24%
	44 नगर पालिका परिषद	8.35	11.30	10.40	12.85	13.86	56.76
		9.20%	9.81%	6.99%	6.75%	9.30%	8.41%
	111 नगर पंचायत	7.33	7.22	9.16	8.62	10.01	42.34
		8.08%	6.27%	6.16%	4.53%	6.72%	6.35%
	168 स्थानीय नगरीय निकायों का योग	90.73	115.20	148.75	190.47	148.97	694.12
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.0%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व

13.58 यदि इन सभी निकायों को एक साथ रखकर तुलना की जाये तो स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व में योगदान नगर पालिक निगम का लगभग 75 प्रतिशत, नगर पालिका परिषद का लगभग 11 प्रतिशत एवं नगर पंचायत का लगभग 14 प्रतिशत है। नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों में स्वयं के स्रोतों से राजस्व उपार्जन करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं एवं इस ओर यदि 2-3 वर्षों तक ध्यान केन्द्रित किया जाये तो दीर्घ काल में इसके लाभ प्राप्त होंगे।

तालिका क्र. 13.28
स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

4	स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	258.78	292.35	354.01	402.71	382.29	1690.14
		78.44%	73.57%	76.47%	75.73%	72.84%	75.41%
	44 नगर पालिका	37.48	47.28	44.24	52.53	58.85	240.38
		11.36%	11.90%	9.56%	9.88%	11.21%	10.78%
	111 नगर पंचायत	33.66	57.72	64.66	76.51	83.69	316.24
		10.20%	14.53%	13.97%	14.39%	15.95%	13.81%
	कुल 168 स्थानीय नगरीय निकायों का योग	329.92	397.35	462.91	531.75	524.83	2246.76
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

राज्य शासन से अंतरित राशि का विवरण

13.59 राज्य शासन से अंतरण एवं अनुदानों से प्राप्त होने वाली राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा 73 प्रतिशत नगर पालिक निगमों को एवं शेष 27 प्रतिशत नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों को प्राप्त होता है।

तालिका क्र. 13.29
राज्य शासन से अंतरण का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

5	राज्य शासन से अंतरित होने वाली राशि	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	350.90	499.84	348.98	484.18	409.92	2093.82
		75.12%	74.56%	67.39%	74.89%	71.79%	72.75%
	44 नगर पालिका परिषद	70.28	96.43	100.66	90.87	103.40	461.64
		15.04%	14.38%	19.44%	14.05%	18.11%	16.21%
	111 नगर पंचायत	45.96	74.16	68.24	71.50	57.69	317.55
		9.84%	11.06%	13.18%	11.06%	10.10%	11.05%
	कुल 168 नगरीय स्थानीय निकायों का योग	467.14	670.43	517.88	646.55	571.01	2873.01
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण

केन्द्र शासन से अंतरण का विवरण

13.60 जहां तक केन्द्रीय शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान एवं अंतरण का प्रश्न है इस मद में नगर पालिक निगमों को 88 प्रतिशत राशि प्राप्त हो रही है जो बहुत बड़ा हिस्सा है। शेष 12 प्रतिशत नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को प्राप्त होता है। इसमें से नगर पंचायतों को 8 प्रतिशत एवं नगर पालिका परिषदों को 4 प्रतिशत प्राप्त होता है। नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषदों की तुलना में अधिक अनुदान प्राप्त होने का कारण यह है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा विशेष क्षेत्र अनुदान की राशि अधिकांश नगर पंचायतों को ही प्राप्त हुई है।

तालिका क्र. 13.30
केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

6	केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान राशि	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	838.37	811.52	895.18	742.86	590.58	3878.51
		92.53%	86.02%	89.54%	89.00%	81.72%	87.76%
	44 नगर पालिका परिषद	25.66	50.85	39.34	27.15	48.95	191.95
		2.83%	5.39%	3.93%	3.25%	6.77%	4.44%
	111 नगर पंचायत	42.07	81.03	65.26	64.69	83.13	336.18
		4.64%	8.59%	6.53%	7.75%	11.50%	7.80%
	कुल 168 नगरीय स्थानीय निकायों का योग	906.10	943.40	999.78	834.70	722.66	4406.64
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण

अन्य राजस्व का विवरण

13.61 यदि राज्य एवं केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाली कुल अंतरित राशि एवं अनुदान राशि को मिलाकर देखा जाये तो 82 प्रतिशत राशि नगर पालिक निगमों को एवं शेष 18 प्रतिशत राशि नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों को प्राप्त होती है।

तालिका क्र. 13.31
अन्य राजस्व का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

7	अन्य राजस्व एवं अनुदान	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	1189.27	1311.36	1244.16	1227.04	1000.50	5972.33
		86.60%	81.26%	81.98%	82.84%	77.34%	82.00%
	44 नगर पालिका परिषद	95.94	147.28	140.00	118.02	152.35	653.59
		6.99%	9.13%	9.22%	7.97%	11.78%	9.02%
	111 नगर पंचायत	88.03	155.19	133.50	136.19	140.82	653.73
		6.41%	9.62%	8.80%	9.19%	10.89%	8.98%
	कुल 168 नगरीय स्थानीय निकायों का योग	1373.24	1613.83	1517.66	1481.25	1293.67	7279.65
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

कुल प्राप्तियां

13.62 अपेक्षा के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों की प्राप्तियों में नगर पालिक निगमों का योगदान सर्वाधिक 80 प्रतिशत है। वहीं नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का योगदान लगभग 10-10 प्रतिशत है। आयोग की दृष्टि में इनके योगदान को लगभग 15-15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना एक आदर्श स्थिति का परिचायक होगा।

तालिका क्र. 13.32
कुल प्राप्तियों का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

8	कुल प्राप्तियां	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	1448.03	1603.71	1598.16	1629.75	1382.79	7662.44
		85.02%	79.74%	80.69%	80.96%	76.06%	80.50%
	44 नगर पालिका परिषद	133.42	194.56	184.24	170.55	211.20	893.97
		7.83%	9.67%	9.30%	8.47%	11.62%	9.38%
	111 नगर पंचायत	121.69	212.91	198.16	212.70	224.01	969.47
		7.15%	10.59%	10.01%	10.57%	12.32%	10.12%

	कुल 168 नगरीय स्थानीय निकायों का योग	1703.14	2011.18	1980.56	2013.00	1818.00	9525.88
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

कुल राजस्व व्यय का विवरण

13.63 कुल राजस्व व्यय का लगभग 73 प्रतिशत नगर पालिक निगम एवं शेष 27 प्रतिशत व्यय नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतें करती है।

तालिका क्र. 13.33
कुल राजस्व व्यय का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

9	कुल राजस्व व्यय	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	331.72	333.50	418.66	439.30	315.92	1839.10
		78.07%	73.98%	74.72%	74.34%	66.13%	73.45%
	44 नगर पालिका परिषद	62.00	71.78	91.97	97.82	101.93	425.50
		14.59%	15.92%	16.41%	16.55%	21.34%	16.96%
	111 नगर पंचायत	31.17	45.52	49.71	53.78	59.90	240.08
		7.34%	10.10%	8.87%	9.10%	12.54%	9.59%
	कुल 168 नगरीय स्थानीय निकायों का योग	424.89	450.80	560.34	590.90	477.75	2504.68
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

कुल पूंजीगत व्यय का विवरण

13.64 नगर पालिक निगमों में 87 प्रतिशत पूंजीगत व्यय किया जा रहा है, जो कुल व्यय का एक बहुत बड़ा अंश है। शेष 13 प्रतिशत पूंजीगत व्यय नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतें मिलकर करती हैं।

तालिका क्र. 13.34
कुल पूंजीगत व्यय का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

10	कुल पूंजीगत व्यय	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	530.35	753.05	1153.82	867.36	654.3	3958.78
		88.65%	85.47%	89.32%	88.83%	83.25%	87.10%
	44 नगर पालिका परिषद	33.63	60.38	72.27	51.83	70.99	289.1
		5.62%	6.85%	5.63%	5.31%	9.03%	6.49%
	111 नगर पंचायत	34.3	67.63	65.22	57.27	60.64	285.06
		5.73%	7.68%	5.05%	5.87%	7.72%	6.41%
	कुल 168 नगरीय स्थानीय निकायों का योग	598.28	881.06	1291.31	976.46	785.93	4533.04
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

कुल व्यय का विवरण

13.65 यदि राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय दोनों को मिलाकर देखा जाय तो नगर पंचायतों में सबसे कम व्यय लगभग 8 प्रतिशत है, जबकि नगर पालिक निगमो द्वारा सभी नगरीय स्थानीय निकायों के कुल व्यय का 82 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है।

तालिका क्र. 13.35
कुल व्यय का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

11	कुल व्यय	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	862.07	1086.55	1572.48	1306.66	970.22	5797.88
		84.25%	81.58%	84.92%	83.37%	76.78%	82.18%
	44 नगर पालिका परिषद	95.63	132.16	164.24	149.65	172.92	714.60
		9.35%	9.92%	8.87%	9.55%	13.68%	10.27%
	111 नगर पंचायत	65.47	113.15	114.93	111.05	120.54	525.14
		6.40%	8.50%	6.21%	7.09%	9.54%	7.55%
	कुल 168 नगरीय स्थानीय निकायों का योग	1023.17	1331.86	1851.65	1567.36	1263.68	7037.72
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

बचत या घाटे का विवरण

13.66 छत्तीसगढ़ राज्य की 168 नगरीय स्थानीय निकायों की गतिविधियों का एक विशेष पक्ष उपरोक्त दर्शित दो तालिकाओं में दिखाई देता है। 111 नगर पंचायतें जो कि सबसे छोटी इकाईयों का समूह है, कुल बचत का एक बड़ा हिस्सा 26 प्रतिशत अर्जित करती हैं। जबकि 44 नगर पालिका परिषदों का मध्यम श्रेणी का समूह केवल 8 प्रतिशत की बचत करता है। 13 नगर पालिक निगम अपेक्षा के अनुरूप बचत में 66 प्रतिशत का योगदान देते हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इन नगर पालिक निगमों को केन्द्र और राज्य शासन से अंतरण और अनुदान के रूप में 88 प्रतिशत प्राप्त होता है।

तालिका क्र. 13.36
कुल बचत या घाटे का विवरण

(करोड़ रूपये में/प्रतिशत)

12	कुल बचत या घाटा	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	योग
	13 नगर पालिक निगम	585.97	517.76	25.68	323.09	412.57	1865.07
		86.17%	76.15%	19.92%	72.50%	74.43%	65.83%
	44 नगर पालिका परिषद	37.79	62.40	20.00	20.90	38.28	179.37
		5.56%	9.18%	15.51%	4.69%	6.91%	8.37%
	111 नगर पंचायत	56.22	99.76	83.23	101.65	103.47	444.33
		8.27%	14.67%	64.56%	22.81%	18.67%	25.80%
	कुल 168 नगरीय स्थानीय निकायों का योग	679.98	679.92	128.91	445.64	554.32	2488.77
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

स्रोत - राज्य शहरी विकास अभिकरण और स्थल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

आयोग के सुझाव

13.67 आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों से विभिन्न स्तरों पर उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया एवं उनके सुझाव मांगे गए। ये समस्याएं नीतिगत, प्रशासनिक, वित्त और कार्मिक से संबंधित थीं। सभी समस्याओं और सुझावों का गहराई से अध्ययन के उपरान्त आयोग का अभिमत निम्नानुसार है :-

1. **कोष प्राप्ति में विलंब :-** शासन द्वारा विलंब से राशि मिलने पर कर्मचारियों का वेतन, मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन एवं जनहित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रभावित होता है।

   आयोग का यह सुझाव है कि शासन समय पर कोष जारी करना सुनिश्चित करे, जिससे प्रचलित कार्यक्रम प्रभावित न हों एवं परियोजनाओं से जुड़े लोगों का मनोबल ऊंचा बना रहे।

2. **अव्ययित अनुदान** :- यह ध्यान में आया है कि कुछ नगरीय स्थानीय निकायों में विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग विस्तृत कार्य योजना के अभाव, तकनीकी स्टाफ की कमी एवं अन्य कारणों से नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप यह राशि लंबे समय से अव्ययित पड़ी रहती है। यह मान्य वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्थाओं के विपरीत है।

आयोग का यह सुझाव है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं व्यय के स्वरूप की सतत निगरानी करे एवं जहां आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ।

3. **विकास योजनाओं के लिए कोष** :- आयोग के ध्यान में यह आया है कि विकास योजनाओं के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों को जो राशि प्राप्त होती है उसका क्रियान्वयन योजना के दिशा-निर्देशों को समग्र रूप से समझते हुए नहीं किया जाता है। कोष का उपयोग उसके विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जाना चाहिए।

आयोग का यह सुझाव है कि राज्य शासन, विकास योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण कर उसमें आवश्यकतानुसार उचित परिवर्तन करें।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆